

-:नीलामी निविदा सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त पड़े निम्नलिखित स्टालों का टेण्डर द्वारा निगम मुख्यालय के पत्र संख्या-2217रो/14-177एफए/01, दिनांक 29.05.2014 के अनुक्रम में, माह के प्रत्येक बुधवार को कार्यालय दिवस में नीलामी होगी, (बुधवार को अवकाश हाने पर आगामी कार्यदिवस में), इच्छुक व्यक्ति जो टेण्डर फार्म लेना चाहते हैं, वह टेण्डर फार्म रूपया-20.00 सक्षम अधिकारी के कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद में जमा कर कार्यालय अवधि में प्रत्येक मंगलवार तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार (15.10.2016, 19.10.2016, 26.10.2016, 03.11.2016) को समय 14:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 15:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। पार्किंग ठेका 01 वर्ष हेतु एवं अन्य स्टाल 03 वर्ष की अवधि हेतु मान्य होंगे।

डिपो	स्टाल का नाम	आरक्षित मूल्यप्रतिमाह
गाजियाबाद बस स्टेशन	कार,स्कूटर,मोसाईकिल स्टैण्ड	27,000/-प्रतिमाह
	एक वर्ष हेतु	
	बुक स्टाल	21,350.00
साहिबाबाद बस स्टेशन	फल व सूखे फल	9500.00
	जनरल मर्चेण्ट	3450/-
		3600/-
बुलन्दशहर नया बसस्टेशन	बुक स्टाल	3200.00
	बिजनेससेन्टर	4500.00
	मैडिकल स्टोर	4500.00
	एसटीडी/पीसीओ/मोबाइल एण्ड	3000.00
	इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स	
दादरी बस स्टेशन	फल व सूखे फल	1500/-
	जनरल मर्चेण्ट	1500/-
मोदीनगर	फल व सूखे फल	1475/-

टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ ऑफर की गयी धनराशि का तीन माह के समतुल्य का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। उच्चतम ऑफर की दशा में लाईसेन्स फीस प्रतिभूति के रूप में नीलामी की कार्यवाही के तुरन्त बाद निगम कोष में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी अन्यथा टेण्डर के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा। टेण्डर फार्म रू0-20.00(रू0 बीस) के नकद भुगतान पर उपरोक्त विवरण के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा ठेकों से सम्बन्धित नियम व शर्तें भी देखी जा सकती हैं। कैंटीन संचालक को ट्रॉली युक्त वेण्डर्स से रू0 5000/-प्रतिमाह व ट्राली रहित प्रत्येक वेण्डर्स से रू0 2000/-प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने पर अनुमति प्रदान की जायेगी। मासिक किराये में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होगी। ठेकेदार/व्यक्ति को जो कैंटीन/स्टाल/दुकान की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसको निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा और स्टाल संबंधी आईटम/सामान का विक्रय किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानों के आवंटन हेतु प्रत्येक स्टाल के लिए रू0 10,000/- तथा डिपो स्तर के प्रत्येक स्टाल के लिए रू0 2000/- अर्नेस्ट मनी जमा करायी जायेगी। निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए धरोहर राशि जमा करायी जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम टेण्डर राशि को स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा। ऐसे ठेकेदार/फर्म जो निगम के ठेके का किराया जमा न कर रहे हों, या जमा न किया गया हो, वह निविदा हेतु अयोग्य माने जायेंगे। पी0सी0ओ0 बूथ के ठेकों के लिए दूर संचार विभाग द्वारा प्रदत्त संयोजना प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। किसी भी टेण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

वाहन पार्किंग ठेका निदेशक मण्डल की 186 वी बैठक दिनांक 02.05.2012 में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर नवीन वाहन पार्किंग ठेका नियमावली-2012 अंकित शर्तों के अनुसार होगा व स्टाल अवधि एक वर्ष होगी। प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (सम्पूर्ण एक वर्ष के) की 25 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा। जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम गाजियाबाद के नाम देय होगा, बैंक किसी भी दशा में मान्य न होगा। निविदा राशि 25 प्रतिशत धनराशि से कम सलंग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (एक वर्ष)की निविदा धनराशि व आयकर एवं सेवाकर की तत्समय प्रचलित दर सहित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नयी निविदा आमंत्रित किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वंत्रत होगा। निविदाकर्ता को अपने पैनकार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी तथा मोबाइल न0 भी अंकित करना होगा। स्टाल संबंधी अन्य शर्तें कार्यालय में कार्यालय दिवस में देखी जा सकती हैं।

क्र०स०	पार्किंग की दरें	नगर निगम वाले शहरों में	अन्य शहरों में
1	कार एवं चार पहिया वाहन	रु० 20.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 06.00 प्रति घन्टे	रु० 15.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 3.00 घन्टे
2	स्कूटर/मोटर साईकिल	रु० 10.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 03.00 प्रति घन्टे	रु० 5.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 2.00 घन्टे
3	साईकिल	रु० 05.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 02.00 प्रति घन्टे	रु० 2.00 प्रथम चार घन्टे उसके उपरान्त रु० 1.00 घन्टे

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कौशाम्बी,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 9069 /क्ष०प्र०/गा०बाद/सामान्य/टेका-नीलामी/2015 दिनांक:- 13 -10 -2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-ईमेल के माध्यम से

- 1- प्रधान प्रबन्धक (विविध/एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
- 3- सहायक प्रबंधक(एम०आई०एस०) लखनऊ को विज्ञप्ति बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम,..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- सेवा प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०परिवहन निगम, खुरजा/बु०शहर/ सि०बाद/हापुड/लोनी/साहिबाबाद /कौशाम्बी/ आनन्द विहार/गाजियाबाद बस स्टेशन डिपो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 6- नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन। द्वारा:-केन्द्र प्रभारी
- 7- tender@upsrtc.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद